उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 863 /XXX(2)/2008
दिनांक: देहरादून: 01 अक्टूबर,2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 है ।

(2) यह दिनांक 14 जून, 2004 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

संक्षिप्त शीर्षक का संशोधन

2. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के शीर्षक में हिन्दी भाग में शब्द ''वर्ग'' के स्थान पर शब्द ''सेवा'' और अंग्रेजी भाग में शब्द ''Staff'' के पश्चात् शब्द ''Service'' रख दिया जायेगा ।

नियम 6 के अन्त में टिप्पणी का अन्तःस्थापन

3. मूल नियमावली के नियम 6 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्-

" टिप्पणी- लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' के नियमित कर्मचारी ही पात्रता क्षेत्र में आयेंगे । समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर व्यक्तियों के लिए चयन, श्रेष्टता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा । परीक्षा में केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे । लिखित परीक्षा अधिकतम 50 अंक की

होंगे तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 20 अंक होंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त 20 अंकों की टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी तथा कम्प्यूटर व्यवहारिक ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे । इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे ।"

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव ।